समाहरणालय, बक्सर
(गोपनीय शाखा)

पत्रांक 101533/गोपनीय

प्रेषक,

अजय यादव, भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

सिविल सर्जन, बक्सर

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, बक्सर

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर

उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बक्सर

सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर जिला

सभी स्वास्थ्य प्रबंधक, बक्सर जिला

बक्सर, दिनांक 20 वीं अगस्त **2010**

विषयः प्रतिदिन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भेजने के संबंध में।

महाशय,

अधोहस्ताक्षरी के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिदिन के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अभी तक प्राथमिक स्थास्थ्य केन्द्र में ओ0पी0डी0 की संख्या अत्यंत ही कम हैं। इसी प्रकार परिवार नियोजन ऑपरेशन की संख्या भी कम है। जिले में संस्थागत प्रसव की संख्या भी काफी कम हैं, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जिले में स्वास्थ्य सुविधायें आमजन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। इस संबंध में विभिन्न मासिक बैठको में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है कि स्थिति में सुधार आयेगी, लेकिन अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिदिन अस्पताल में हुए संस्थागत प्रसव, परिवार नियोजन ऑपरेशन के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को फैक्स संख्या **(06183 – 222231)** या **e-mail (dm-buxar.bih@nic.in)** के माध्यम से निम्न प्रपत्र में सूचित करेंगे।

विहित प्रपत्र

अस्पताल का नाम :–

संस्थागत प्रसव की संख्या	परिवार नियोजन ऑपरेशन की संख्या	**Outdoor** मरीजों की संख्या	**Indoor** मरीजों की संख्या	**24** घंटे में कितना जेनरेटर चला	**Out sourcing** की व्यवस्था	उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारी का नाम (पालीवार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मंतव्य :–

यह प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी के फैक्स संख्या **(06183 – 222231)** पर भेजा जाय। फैक्स करना अत्यंत ही आवश्यक हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर से प्रतिवेदन को स्कैन कराकर अधोहस्ताक्षरी के **e-mail (dm-buxar.bih@nic.in)** पर भेजेंगे।

इसी प्रकार वरीय चिकित्सा पदाधिकारी निम्न प्रपत्र में प्रतिदिन निरीक्षण किये गये स्वास्थ्य सुविधा यथा – प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / स्वास्थ्य उप केन्द्र के बारे में जानकारी लेंगे।

प्रतिदिन प्रतिवेदन का विहित प्रपत्र

पदाधिकारी का नाम	किस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / HSC का दौरा किया एवं टिप्पणी
(1)	(2)
सिविल सर्जन, बक्सर	
जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी	
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	
उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बक्सर	

यह प्रतिवेदन सिविल सर्जन / जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक सदर अस्पताल एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी **e-mail** के माध्यम से प्रतिवेदन देंगे।

दिनांक **31-07-2010** की हुई बैठक में सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को वैसी आशा कार्यकर्त्ता जो कार्य नहीं कर रही हैं उसे चिन्हित करने का आदेश दिया गया था। दो दिनों के अन्दर **e-mail** के माध्यम से आशा कार्यकर्त्ता के नाम के साथ विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन देंगे।

आशा कार्यकर्त्ता का प्रतिवेदन तिथिवार

क्रम संख्या	आशा कार्यकर्त्ता का नाम	**Delivery Cases**	**Family Planning Cases**	प्रतिरक्षण	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

जो आशा कार्यकर्त्ता कार्य नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध सिविल सर्जन, बक्सर अपने स्तर से कड़ी कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

(अजय यादव, भा०प्र०से०)
जिला पदाधिकारी,
बक्सर